पेश से:

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मांडल

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर रजि० एडी से प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार रूक-रूक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं रहने पर विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रार्थीया का प्रा-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:55:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी— मनोज, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 109/24 प्रा.पत्र

श्रीमती निरमा देवी प0 नारायणलाल सालाई निवासी- पीपलिया ता० आसीन्द

—प्रार्थी

बनाम

श्रीमती निरमा प0 रामलाल मेघवंशी निवासी-सिंडियास ता० माण्डल [भीलवाड़ा]

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:— 06.06.24

::आदेश::

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिंडियास पटवार हल्का सिंडियास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं0 2034/1730 कुल किता 01 रकबा 0.6323 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि पड़ौसीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.05.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की पत्रावली से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सिंडियास पटवार हल्का सिंडियास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2034/1730 कुल किता 01 रकबा 0.6323 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी लिये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक अमनापुरा 500 रुपये/— कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौका व कब्जा यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:55:14 IST
Reason: SelfAttested

प्र.नि.— तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा फीस जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी किया जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा